

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

प्रार्थना पत्र सं. 14/...../2021 अन्तर्गत धारा 212 RT Act

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ बनाम गुगनराम पुत्र माईधन मेघवाल वगैरे
व अन्य शेष जमाबंदी

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.09.21	<p>यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुने जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात भूमि हाल खसरा नम्बर 200 किता 1 कुल रकबा 1.06 है०, वाके ग्राम खेड़ला को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बैय, बेचान या हस्तांतरण नहीं करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। न्यायालय आवेदनकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह विपरित पक्षकार को आदेश की प्रति सुपुर्दगी स्पीड पोस्ट (SPEED POST) द्वारा करें, तथा व्यादेश के आवेदन की प्रति के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, वाद पत्र, व दस्तावेज जिन पर आवेदक भरोसा करता है इनकी प्रति भी भेजे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30.09.2021 को पेश हो।</p>	

उपखण्ड, अधिकारी सूरजगढ

FORM NO. III



फर्द अहकाम

(नियम 26)

न अदालत 342003 अधिकारी मुकाम सुरजगढ़

राज सरकार बनाम सुजनराम

सं मुकदमा 212 नं 141 सन 2021

तारीख हक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
10 ¹³ / ₂₁	<p>पत्रावली फेर डई। पत्रिकाडी। अडाणी संख्या 02 की ओर से जवाब फेर किया। नकल सरकारी फेरनाम को दिलायी गई। अडाणी संख्या 01 का जवाब अडाणी में संपत्तिक न्याय में एक ओर अन्तिम अवसात दिया जाता है। निम्न दिनांक से जवाब आवश्यक रूप से फेर को। पत्रावली वाला जवाब दिनांक 20/12/21 को फेर है।</p> <p> उपस्थित अधिकारी, सुरजगढ़</p>	
20 ¹³ / ₂₁	<p>पत्रावली फेर डई। अडाणी संख्या 02 की ओर से श्री संदीप महारिणा से 9 कालनामा फेर किया एवं बलाया की अडाणी अपनी रुकि को 90 रु में संपत्तिक न्यायना चाहता है। एवं अर्थाई निवेदना को हटाने के लिए निवेदन किया। अतः प्राप पर अर्थाई निवेदना को खारिज किया जाता है तभी राजस्व की हानि ना हो। पत्रावली फेरनाम अडाणी लोक नम्बर से रुम है। शरत लकील मूल अडाणी के साथ संलग्न रहे।</p> <p> उपस्थित अधिकारी, सुरजगढ़</p>	